

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

नियुक्ति

30 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या-63 नो-बी/XXXVI-A-1/2025-03 नो-बी/2011-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती अलका शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 30-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती अलका शर्मा, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रशान्त जोशी,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 63 No-B/XXXVI-A-1/2025-03 No-B/2011, Dated- October 30, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

October 30, 2025

No. 63 No-B/XXXVI-A-1/2025-03 No-B/2011--In exercise of the powers conferred by section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mrs. Alka Sharma, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 30-10-2025 for **Tehsil Roorkee, District Haridwar** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mrs. Alka Sharma** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PRASHANT JOSHI,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 15-11-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 61 न्याय/539-31-12-2025-20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)